



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082026-275383
CG-DL-E-11082026-275383

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948

No. 660]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 724(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' और 'ग' (रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, तकनीकी, रेडियो फिटर, ड्राफ्ट्समैन) (अराजपत्रित) पुरुष या महिला पद (सिग्नल्स), भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिग्नल कैडर में रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, तकनीकी, रेडियो फिटर, ड्राफ्ट्समैन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' और 'ग' (रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, तकनीकी, रेडियो फिटर, ड्राफ्ट्समैन), अराजपत्रित, (सिग्नल्स) भर्ती नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि .—** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता .—** कोई भी व्यक्ति,—
- (क) जिसने, ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या
- (ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
- उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :
- परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **प्रोन्नति और भर्ती के लिए मेडिकल फिटनेस .—** अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी एक पद से किसी अन्य श्रेणी या रैंक या पद पर प्रोन्नति सरकार द्वारा यथाविहित चिकित्सा श्रेणी शेष-1, की शर्त के अधीन होगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. हैड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर)	7391* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'सी', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	
(6)	(7)	(8)	(9)	
18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान या कंप्यूटर विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा (10+2 या इंटरमीडिएट) या समतुल्य परीक्षा 10वीं कक्षा	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि। टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि पूरी करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का	

टिप्पण 1: प्रत्येक दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में वर्णित अंतिम तारीख होगी।		में अंग्रेज़ी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।		अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित होगा।	
टिप्पण 2: इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार पुनः भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा साधारण श्रेणी के लिए 30 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी।					
भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।		प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।			
(10)		(11)			
कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी, बिगुलर, माली और पेंटर), पुनः भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा		कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी, बिगुलर, माली और पेंटर) जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों: (i) स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं हों; और (ii) अभिरुचि परीक्षण तथा रेडियो ऑपरेटर बेसिक कोर्स अर्हित किया हो।			
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।			
(12)		(13)			
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडेंट - अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट - सदस्य-I और 3. सहायक कमांडेंट - सदस्य-II		लागू नहीं होता।			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2. हैड कांस्टेबल (रेडियो फिटर)	310* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'सी', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता।	

(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण 1: प्रत्येक दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में वर्णित अंतिम तारीख होगी। टिप्पण 2: इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार पुनः भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा साधारण श्रेणी के लिए 30 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली के साथ विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (जैसे- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था या समतुल्य) से मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में दो वर्ष का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या उपर्युक्त विषयों में से तीन वर्ष का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो। या सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित और भौतिकी विषयों के साथ 12वीं कक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि होगी। टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा की अवधि पूरी करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित होगा।

(10)	(11)
कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी, बिगुलर, माली और पेंटर), से पुनः भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी, बिगुलर, माली और पेंटर) जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों: (i) स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं हों; और (ii) अभिरुचि परीक्षण तथा बेसिक रेडियो फिटर कोर्स अर्हित किया हो।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : - 1. कमांडेंट - अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट - सदस्य-I ;और 3. सहायक कमांडेंट - सदस्य-II	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. हैड कांस्टेबल (क्रिप्टो)	524* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'सी', (अराजपत्रित, अनुसूचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	लागू नहीं होता।
(6)	(7)	(8)	(9)	
18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: प्रत्येक दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में वर्णित अंतिम तारीख होगी। टिप्पण 2: इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार पुनः भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा साधारण श्रेणी के लिए 30 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से अंग्रेजी, भौतिकी, गणित तथा रसायन विज्ञान / कंप्यूटर विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा (10+2 या इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण की हो।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि होगी। टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा की अवधि पूरी करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित होगा।	
(10)		(11)		
कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी, बिगुलर, माली और पेंटर) पुनः भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।		कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी, बिगुलर, माली और पेंटर) जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों: (i) स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं हों; और (ii) अभिरुचि परीक्षण तथा पुलिस बेसिक साइफर कोर्स अर्हित किया हो।		

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. कमांडेंट 2. उप कमांडेंट 3. सहायक कमांडेंट	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी)	716* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'सी', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपए)	लागू नहीं होता।
(6)	(7)		(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: प्रत्येक दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में वर्णित अंतिम तारीख होगी।	(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) उत्तीर्ण की हो या समतुल्य; और किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से (इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार) में तीन वर्ष का डिप्लोमा। या भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ बीएससी या बीएससी (इलेक्ट्रॉनिक्स) या बी.टेक. /बीई - डिग्री भारत सरकार के विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त / संबद्ध हो।		लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि होगी। टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा की अवधि पूरी करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित होगा।
(10)		(11)		
(क) 20% हैड कांस्टेबल (रेडियो फिटर) पुनः भर्ती द्वारा ; (ख) 80% सीधी भर्ती द्वारा ।		हैड कांस्टेबल (रेडियो फिटर) जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और अभिरुचि परीक्षण तथा बेसिक रेडियो मैकेनिक कोर्स अर्हित किया हो।		
(12)		(13)		
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : - 1. उप महानिरीक्षक - अध्यक्ष 2. कमांडेंट - सदस्य-I 3. उप कमांडेंट - सदस्य-II ; और 4. सहायक कमांडेंट - सदस्य-III		लागू नहीं होता।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. सहायक उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर)	1489* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'सी', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपए)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)		(11)	
प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति द्वारा: ऐसे हैड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर), जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर लेवल-4 (25500 – 81100 रुपए) में, जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथा विहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो उनकी चिकित्सा श्रेणी “शेप-I” सहित। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
(12)		(13)	
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : - 1. उप महानिरीक्षक - अध्यक्ष 2. कमांडेंट - सदस्य-I 3. उप कमांडेंट - सदस्य-II ; और 4. सहायक कमांडेंट - सदस्य- III		लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. सहायक उप निरीक्षक (क्रिप्टो)	119* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-05 (29200-92300/- रुपए)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा: ऐसे हैड कांस्टेबल (क्रिप्टो) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और

	महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो, उनकी चिकित्सा श्रेणी "शेप-I" सहित। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप महानिरीक्षक - अध्यक्ष 2. कमांडेंट - सदस्य-I 3. उप कमांडेंट - सदस्य-II ; और 4. सहायक कमांडेंट - सदस्य- III	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. सहायक उप निरीक्षक (ड्राफ्ट्समैन)	24* (2026)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-05 (29200-92300/-रुपए)	लागू नहीं होता।
(6)	(7)	(8)	(9)	
18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : प्रत्येक दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में वर्णित अंतिम तारीख होगी।	(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली के अधीन मैट्रिकुलेट या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समतुल्य; तथा (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद /राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था या समतुल्य) से मान्यता प्राप्त/संबद्ध से ड्राफ्ट्समैन सिविल में दो वर्ष प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम ; या	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि होगी। टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा की अवधि पूरी करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित होगा।	

	किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से आर्किटेक्चर/ सिविल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा।		
(10)		(11)	
सीधी भर्ती द्वारा		लागू नहीं होता।	
(12)		(13)	
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		लागू नहीं होता।	
1.	उप महानिरीक्षक	-	अध्यक्ष
2.	कमांडेंट	-	सदस्य-I
3.	उप कमांडेंट	-	सदस्य-II ; और
4.	सहायक कमांडेंट	-	सदस्य- III

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. सहायक उप निरीक्षक (रेडियो फिटर)	56* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-05 (29200-92300/-रुपए)	चयन
(6)	(7)	(8)	(9)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	
(10)		(11)		
प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति द्वारा: ऐसे हैड कांस्टेबल (रेडियो फिटर) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। उनकी चिकित्सा श्रेणी "शेप-I" सहित। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(12)			(13)	
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : -			लागू नहीं होता।	
1.	उप महानिरीक्षक	- अध्यक्ष		
2.	कमांडेंट	- सदस्य-I		
3.	उप कमांडेंट	- सदस्य-II ; और		
4.	सहायक कमांडेंट	- सदस्य- III		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. उप निरीक्षक (क्रिप्टो)	120* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'बी', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-06 (35400-112400/-रुपए)	चयन
(6)		(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय है।) टिप्पण:- प्रत्येक दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में वर्णित अंतिम तारीख होगी।		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र/ कंप्यूटर विज्ञान और गणित विषय के साथ स्नातक डिग्री या समतुल्य।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा की अवधि पूरी करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित होगा।
(10)			(11)	
(क) 90 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; और (ख) 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।			प्रोन्नति द्वारा: ऐसे सहायक उप निरीक्षक (क्रिप्टो) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5, (29200-92300 रुपए) जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो उनकी चिकितसा श्रेणी “शेप-1” सहित। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : -	लागू नहीं होता।
1. उप महानिरीक्षक - अध्यक्ष	
2. कमांडेंट - सदस्य-I	
3. उप कमांडेंट - सदस्य-II ; और	
4. सहायक कमांडेंट - सदस्य- III	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर)	1165* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'बी', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-06 (35400-112400 रुपए)	चयन
(6)		(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय है।) टिप्पण:- प्रत्येक दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में वर्णित अंतिम तारीख होगी।		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र या कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी विषय के साथ स्नातक डिग्री या समतुल्य।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा की अवधि पूरी करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित होगा।
(10)			(11)	
(क) 90 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; और (ख) 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।			प्रोन्नति द्वारा: ऐसे सहायक उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5, (29200-92300 रुपए) में जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित पूर्व- प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो उनकी चिकित्सा श्रेणी "शेप-1" सहित। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -	लागू नहीं होता।
1. उप महानिरीक्षक - अध्यक्ष	
2. कमांडेंट - सदस्य-I	
3. उप कमांडेंट - सदस्य-II ; और	
4. सहायक कमांडेंट - सदस्य-III	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. उप निरीक्षक (तकनीकी)	331* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'बी', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-06 (35400-112400 रुपए)	चयन
(6)	(7)	(8)	(9)	
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय है।) टिप्पण:- प्रत्येक दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में वर्णित अंतिम तारीख होगी।	इलेक्ट्रॉनिक्स/ सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/ मेकट्रॉनिक्स में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बी.टेक/ बी.ई.की डिग्री।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा की अवधि पूरी करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित होगा।	
(10)		(11)		
(क) 90 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; और (ख) 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।		प्रोन्नति द्वारा: ऐसे सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5, (29200-92300 रुपए) में जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित पूर्व- प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो उनकी चिकित्सा श्रेणी "शेप-1" सहित। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : - 1. उप महानिरीक्षक - अध्यक्ष 2. कमांडेंट - सदस्य-I 3. उप कमांडेंट - सदस्य-II ; और 4. सहायक कमांडेंट - सदस्य-III	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. उप निरीक्षक (रेडियो फिटर)	7* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रुपए)	चयन
(6)	(7)	(8)	(9)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	
(10)		(11)		
प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति द्वारा: ऐसे सहायक उप निरीक्षक (रेडियो फिटर) वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5, (29200-92300 रुपए) में जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित पूर्व- प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो उनकी चिकित्सा श्रेणी "शेप-1" सहित। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
(12)		(13)		
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : - 1. उप महानिरीक्षक - अध्यक्ष 2. कमांडेंट - सदस्य-I 3. उप कमांडेंट - सदस्य-II ; और 4. सहायक कमांडेंट - सदस्य-III		लागू नहीं होता।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. उप निरीक्षक (ड्राफ्ट्समैन)	7* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रुपए)	चयन
(6)	(7)	(8)	(9)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	
(10)		(11)		
प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति द्वारा: ऐसे सहायक उप निरीक्षक (ड्राफ्ट्समैन) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5, (29200-92300 रुपए) में जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित पूर्व- प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो उनकी चिकित्सा श्रेणी "शेप-1" सहित। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
(12)			(13)	
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप महानिरीक्षक - अध्यक्ष 2. कमांडेंट - सदस्य-I 3. उप कमांडेंट - सदस्य-II ; और 4. सहायक कमांडेंट - सदस्य-III			लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14. निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर)	438* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रुपये)	चयन
(6)	(7)	(8)	(9)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा: ऐसे उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर) वेतन मैट्रिक्स में स्तर--6, (35400-112400 रुपए) में जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित पूर्व- प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो उनकी चिकित्सा श्रेणी "शेप-1" सहित। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महानिरीक्षक - अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक - सदस्य-I 3. कमांडेंट - सदस्य-II 4. उप कमांडेंट - सदस्य-III ; और 5. सहायक कमांडेंट - सदस्य-IV	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15. निरीक्षक (क्रिप्टो)	75* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रुपये)	चयन
(6)		(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)			(11)	
प्रोन्नति द्वारा			प्रोन्नति द्वारा: ऐसे उप निरीक्षक (क्रिप्टो) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, (35400-112400 रुपए) में जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित पूर्व- प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो उनकी चिकित्सा श्रेणी "शेप-1" सहित।	

		टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
(12)		(13)		
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:		लागू नहीं होता।		
1. महानिरीक्षक - अध्यक्ष				
2. उप महानिरीक्षक - सदस्य-I				
3. कमांडेंट - सदस्य-II				
4. उप कमांडेंट - सदस्य-III ; और				
5. सहायक कमांडेंट - सदस्य-IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16. निरीक्षक (तकनीकी)	196* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रुपये)	चयन
(6)	(7)	(8)	(9)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	
(10)		(11)		
प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति द्वारा: ऐसे उप निरीक्षक (तकनीकी) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, (35400-112400 रुपए) में जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित पूर्व- प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो उनकी चिकित्सा श्रेणी "शेप-1" सहित। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(12)			(13)	
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. महानिरीक्षक - अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक - सदस्य-I 3. कमांडेंट - सदस्य-II 4. उप कमांडेंट - सदस्य-III ; और 5. सहायक कमांडेंट - सदस्य-IV			लागू नहीं होता।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. निरीक्षक (रेडियो फिटर)	2* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये)	चयन
(6)	(7)	(8)	(9)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	
(10)		(11)		
प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति द्वारा: ऐसे उप निरीक्षक (रेडियो फिटर) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, (35400-112400 रुपए) में जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित पूर्व- प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो उनकी चिकित्सा श्रेणी "शेप-1" सहित। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
(12)			(13)	
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. महानिरीक्षक - अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक - सदस्य-I 3. कमांडेंट - सदस्य-II 4. उप कमांडेंट - सदस्य-III ; और 5. सहायक कमांडेंट - सदस्य-IV			लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18. निरीक्षक (ड्राफ्ट्समैन)	2* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रुपये)	चयन
(6)	(7)	(8)	(9)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	
(10)		(11)		
प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति द्वारा: ऐसे उप निरीक्षक (ड्राफ्ट्समैन) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, (35400-112400 रुपए) में जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित पूर्व- प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो उनकी चिकित्सा श्रेणी "शेप-1" सहित। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
(12)		(13)		
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महानिरीक्षक - अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक - सदस्य-I 3. कमांडेंट - सदस्य-II 4. उप कमांडेंट - सदस्य-III ; और 5. सहायक कमांडेंट - सदस्य-IV		लागू नहीं होता।		

[फा. सं. आर.दो-5/2025-सी(13)]

अमित कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2026

G.S.R. 724(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force, Group 'B' and 'C' (Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman) (Non Gazetted) Male or Female Ranks (Signals), Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman in the Signal Cadre in the Central Reserve Police Force, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Group 'B' and 'C' (Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman), Non-Gazetted, (Signals) Recruitment Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**— No person,
(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;
shall be eligible for appointment to the said posts :
provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Medical fitness for promotion and recruitment.**— Promotion from one post to any another grade or rank or posts specified in the Schedule shall be subject to fulfilment of medical category SHAPE-I, as prescribed by the Government.
6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.
7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.Head Constable (Radio Operator).	7391* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Non- Ministerial, Combatised).	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1 : The crucial date for determination of the age limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement. Note 2 : The maximum age -limit for remusteration will not be more than thirty years for the General Category, thirty three years for the Other Backward Classes and thirty five years for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	12th Class Pass (10+2 or Intermediate) with Physics, Mathematics, and Chemistry or Computer Science from a recognised board or equivalent with English in 10th class.	Not applicable.	Two years probation period for direct recruits. Note : The direct recruits shall be required to successfully complete a mandatory induction training of atleast two weeks duration in relevant field for completion of probation.
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made		
(10)	(11)		
Remustering from Constable (General Duty, Bugler, Mali and Painter), failing which, by direct recruitment.	Constable (General Duty, Bugler, Mali and Painter) with three years' service and possessing the following qualifications: (i) possessing educational qualification prescribed under column (7) ; and (ii) qualified the aptitude test and the Radio Operator Basic Course		

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.			Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	
(12)			(13)	
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant - Chairman ; 2. Deputy Commandant - Member-I ; and 3. Assistant Commandant - Member-II.			Not applicable.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.Head Constable (Radio Fitter).	310* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non–Gazetted, Non- Ministerial, Combatised).	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.
(6)		(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement. Note 2 : The maximum age -limit for remusteration will not be more than thirty years for the General Category, thirty three years for the Other Backward Classes and thirty five years for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.		10 th Class pass in 10+2 Examination system with Science and Mathematics from a recognised board or equivalent, with two years’ certificate Course from a recognized or affiliated by All India Council for Technical Education or National Council of Vocational Training or State Council of Vocational Training (like Industrial Training Institute or equivalent) in Electrical, Wiremen, Mechanical, Electronics or three years polytechnic diploma in any of the above streams ; or 12 th class pass with mathematics and physics from a Government recognised Board or equivalent.	Not applicable.	Two years probation period for direct recruits. Note 1 : The direct recruits shall be required to successfully complete a mandatory induction training of atleast two weeks duration in relevant field for completion of probation.
(10)			(11)	
Remustering from Constable (General Duty, Bugler, Mali and Painter), failing which, by direct recruitment.			Constable (General Duty, Bugler, Mali and Painter) with three years’ service and possessing the following qualifications:- (i) possessing the educational qualification prescribed under column (7) ; and (ii) qualified the aptitude test and the Basic Radio Fitter Course.	

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant - Chairman ; 2. Deputy Commandant - Member-I ;and 3. Assistant Commandant - Member-II.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Head Constable (Crypto).	524* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non– Gazetted, Non- Ministerial, Combatised).	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.
(6)		(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1 : The crucial date for determination of the age limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement. Note 2 : The maximum age-limit for remusteration will not be more than thirty years for the General Category, thirty three years for the Other Backward Classes and thirty five years for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.		12 th class pass (10 +2 or intermediate) with English, Physics, Mathematics and Chemistry or Computer Science from a recognised Board or Institution.	Not applicable.	Two years probation period for direct recruits. Note : The direct recruits shall be required to successfully complete a mandatory induction training of atleast two weeks duration in relevant field for completion of probation.
(10)			(11)	
Remustering from Constable (General Duty, Bugler, Mali and Painter), failing which, by direct recruitment.			Constable (General Duty, Bugler, Mali and Painter) with three years’ service and possessing the following qualifications: (i) possessing the educational qualification prescribed under column (7) ; and (ii) qualified the aptitude test and the Police Basic Cipher Course.	

(12)			(13)	
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant - Chairman ; 2. Deputy Commandant - Member-I ; and 3. Assistant Commandant - Member-II.			Not applicable.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Assistant Sub-Inspector (Technical).	716* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non–Gazetted, Non- Ministerial, Combatised).	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Not applicable.
(6)	(7)		(8)	(9)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.	(a) 10th class pass (10+2 examination system) from a recognised board or equivalent; and (b) Three years diploma from a recognised board of technical education in (Electronics or Electronics and Telecommunication or Electronics and Communication) ; or BSc with Physics, Chemistry and Mathematics ;or BSc (Electronics) ;or Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering - Degree must be recognized or affiliated by university or board of technical education of Government of India.		Not applicable.	Two years probation period for direct recruits. Note : The direct recruits shall be required to successfully complete a mandatory induction training of atleast two weeks duration in relevant field for completion of probation.
(10)			(11)	
(ग) 20% by remustering from Head Constable (Radio Fitter) ; and (घ) 80% by direct recruitment.			Head Constable (Radio Fitter) who have completed two years’ regular service in the grade and qualified an aptitude test and the Basic Radio Mechanic Course.	

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Inspector General - Chairman ; 2. Commandant - Member-I; 3. Deputy Commandant - Member-II;and 4. Assistant Commandant - Member-III.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.Assistant Sub-Inspector (Radio Operator).	1489* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non–Gazetted, Non- Ministerial, Combatised).	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Selection.
(6)		(7)	(8)	(9)
Not applicable.		Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)			(11)	
By promotion.			By Promotion: Head Constable (Radio Operator) in the level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with five years’ regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time with Medical Category “Shape-I”. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	
(12)			(13)	
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General - Chairman; 2. Commandant - Member-I; 3. Deputy Commandant - Member-II; and 4. Assistant Commandant - Member-III.			Not applicable.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Assistant Sub-Inspector (Crypto).	119* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised).	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Selection.
(6)	(7)		(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.	Not applicable.

(10)		(11)		
By promotion.		By Promotion: Head Constable (Crypto) in the level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time with Medical Category "Shape-I". Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)		(13)		
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General - Chairman ; 2. Commandant - Member-I ; 3. Deputy Commandant - Member-II ;and 4. Assistant Commandant - Member-III.		Not applicable.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Assistant Sub-Inspector (Draughtsman).	24* (2026) *Subject variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Non- Ministerial, Combatised).	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Not applicable.
(6)	(7)		(8)	(9)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	(a) Matriculate or 10 th Class pass in 10+2 Examination system from a recognised board or equivalent ; and (b) possessing two years certificate course in Draughtsman Civil recognised or affiliated by All India		Not applicable.	Two years probation period for direct recruits. Note : The direct recruits shall be required to

Government from time to time).	Council for Technical Education or National council of Vocational training or State Council of Vocational Training (Industrial Training Institute or equivalent) ;or Degree or Diploma in Architecture or Civil or Mechanical Engineering from recognised Board of Technical education.			successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for completion of probation.
(10)			(11)	
By direct recruitment.			Not applicable.	
(12)			(13)	
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Inspector General - Chairman ; 2. Commandant - Member-I ; 3. Deputy Commandant - Member-II ;and 4. Assistant Commandant - Member-III.			Not applicable.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.Assistant Sub-Inspector (Radio Fitter).	56* (2026) *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'C', (Non–Gazetted, Non- Ministerial, Combatised).	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Selection.
(6)	(7)		(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.	Not applicable.
(10)			(11)	
By promotion.			By promotion: Head Constable (Radio Fitter) in the level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with five years’ regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time with Medical Category “Shape-I”. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service	

(12)			(13)	
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General - Chairman; 2. Commandant - Member-I; 3. Deputy Commandant - Member-II;and 4. Assistant Commandant - Member-III.			Not applicable.	
(1)	(2)	(3)		
9. Sub-Inspector (Crypto).	120* (2026) *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted, Non- Ministerial, Combatised).	Level-6 (Rs. 35400-112400).	Selection.
(6)		(7)	(8)	(9)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determination of the age limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.		Bachelor degree or equivalent from a recognised university with Physics, Chemistry or Computer Science and mathematics as subjects.	Not applicable.	Two years. Note : The direct recruits shall be required to successfully complete a mandatory induction training of atleast two weeks duration in relevant field for completion of probation.
(10)			(11)	
(a) 90% by promotion ;and (b) 10% by direct recruitment.			By Promotion: Assistant Sub Inspector (Crypto) in the level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix with six years' regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time with Medical Category "Shape-I". Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	

(12)			(13)	
Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- 1. Deputy Inspector General - Chairman; 2. Commandant - Member-I; 3. Deputy Commandant - Member-II ;and 4. Assistant Commandant - Member-III.			Not applicable.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. Sub-Inspector (Radio Operator).	1165* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted, Non- Ministerial, Combatised).	Level-6 (Rs. 35400-112400).	Selection.
(6)		(7)	(8)	(9)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determination of the age limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.		Bachelor degree or equivalent from a recognised university with Physics, Maths, Chemistry or Computer Science or Electronics or Information Technology as subject.	Not applicable.	Two years. Note : The direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of atleast two weeks duration in relevant field for completion of probation.
(10)		(11)		
(a) 90% by promotion ;and (b) 10% by direct recruitment.		By promotion: Assistant Sub Inspector (Radio Operator) in the level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years' regular service in the grade and have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time with Medical Category "Shape-I". Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(12)			(13)	
Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- 1. Deputy Inspector General - Chairman; 2. Commandant - Member-I; 3. Deputy Commandant - Member-II ;and 4. Assistant Commandant - Member-III.			Not applicable.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. Sub-Inspector (Technical).	331* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatized).	Level-6 (Rs. 35400-112400).	Selection.
(6)		(7)	(8)	(9)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determination of the age limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.		Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering in anyone of the following streams – Electronics or Information Technology or Computer Science or Computer Science and Engineering or Electronics and Telecommunication or Electronics and Communication Engineering or Electrical and Electronics Engineering or Mechatronics from a recognised board or university.	Not applicable.	Two Years. Note: The direct recruits shall be required to successfully complete a mandatory induction training of atleast two weeks duration in relevant field for completion of probation.
(10)		(11)		
(a) 90% by promotion ; and (b) 10% by direct recruitment.		By promotion: Assistant Sub Inspector (Technical) in the level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix with six years' regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time with Medical Category "Shape-I". Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or		

		two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)		(13)		
Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:-		Not applicable.		
1. Deputy Inspector General - Chairman;				
2. Commandant - Member-I;				
3. Deputy Commandant - Member-II ;and				
4. Assistant Commandant - Member-III.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. Sub-Inspector (Radio Fitter).	7* (2026) *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted, Non- Ministerial, Combatised).	Level-6 (Rs. 35400-112400).	Selection.
(6)	(7)	(8)	(9)	
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	
(10)		(11)		
By promotion.		By promotion: Assistant Sub Inspector (Radio Fitter) in the level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix with six years' regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time with Medical Category "Shape-I". Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)		(13)		
Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:-		Not applicable.		
1. Deputy Inspector General - Chairman;				
2. Commandant - Member-I;				
3. Deputy Commandant - Member-II;and				
4. Assistant Commandant - Member-III.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Sub-Inspector (Draughtsman).	7* (2026) *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'B', (Non–Gazetted, Non-Ministerial, Combatised).	Level-6 (Rs. 35400-112400)	Selection.
(6)	(7)	(8)	(9)	
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two Years.	
(10)		(11)		
By promotion.		By promotion: Assistant Sub Inspector (Draughtsman) in the level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix with six years’ regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time with Medical Category “Shape-I”. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)			(13)	
Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- 1. Deputy Inspector General - Chairman; 2. Commandant - Member-I; 3. Deputy Commandant - Member-II;and 4. Assistant Commandant - Member-III.			Not applicable.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14. Inspector (Radio Operator).	438* (2026) *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'B', (Non–Gazetted, Non-Ministerial, Combatised).	Level-7 (Rs. 44900-142400).	Selection.
(6)	(7)	(8)	(9)	
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	

(10)		(11)		
By promotion.		By promotion: Sub Inspector (Radio Operator) in the level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time with Medical Category "Shape-I". Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)		(13)		
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Inspector General - Chairman ; 2. Deputy Inspector General - Member-I; 3. Commandant - Member-II; 4. Deputy Commandant - Member-III;and 5. Assistant Commandant - Member-IV.		Not applicable.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15. Inspector (Crypto).	75* (2026) *Subject to dependent workload.	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted, Non- Ministerial, Combatised).	Level-7 (Rs. 44900-142400).	Selection.
(6)		(7)	(8)	(9)
Not applicable.		Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)		(11)		
By promotion.		By promotion: Sub Inspector (Crypto) in the level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time with Medical Category "Shape-I".		

			Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	
(12)			(13)	
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Inspector General - Chairman; 2. Deputy Inspector General - Member-I; 3. Commandant - Member-II; 4. Deputy Commandant - Member-III;and 5. Assistant Commandant - Member-IV.			Not applicable.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16. Inspector (Technical).	196* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted, Non- Ministerial, Combatized).	Level-7 (Rs. 44900-142400).	Selection.
(6)	(7)	(8)	(9)	
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	
(10)			(11)	
By promotion.			By promotion: Sub Inspector (Technical) in the level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time with Medical Category "Shape-I". Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	
(12)			(13)	

Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Inspector General - Chairman ; 2. Deputy Inspector General - Member-I; 3. Commandant - Member-II; 4. Deputy Commandant - Member-III;and 5. Assistant Commandant - Member-IV.			Not applicable.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. Inspector (Radio Fitter).	2* (2026) *Subject to dependent workload.	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted, Non- Ministerial, Combatised).	Level-7 (Rs. 44900-142400).	Selection.
(6)	(7)	(8)	(9)	
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	
(10)			(11)	
By promotion.			By promotion: Sub Inspector (Radio Fitter) in the level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time with Medical Category "Shape-I". Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	
(12)			(13)	
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Inspector General - Chairman; 2. Deputy Inspector General - Member-I; 3. Commandant - Member-II; 4. Deputy Commandant - Member-III;and 5. Assistant Commandant - Member-IV.			Not applicable.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18. Inspector (Draughtsman).	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted, Non- Ministerial, Combatised).	Level-7 (Rs. 44900-142400).	Selection.
(6)	(7)	(8)	(9)	
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	
(10)		(11)		
By promotion.		By promotion: Sub Inspector (Draughtsman) in the level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time with Medical Category "Shape-I". Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
(12)			(13)	
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Inspector General - Chairman, 2. Deputy Inspector General - Member-I, 3. Commandant - Member-II, 4. Deputy Commandant - Member-III, and 5. Assistant Commandant - Member-IV				

[F. No. R.II-5/2025-C (13)]

AMIT KUMAR, Under Secy.